

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय:- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी

गौपी

बनाम सरसर

ग 52/25


2025/198

| नांक आज्ञा कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|-------------------------|--|-------------|
| | <p>मे तहसीलदार बस्सी के पत्रांक भूख 2025/4222 दिनांक 30/06/25 द्वारा रिपोर्ट प्रेषित होकर स्पष्ट है कि ग्राम रघुनाथपुरा के ख.नं. 198 रकबा 1.1001 है। मुताबिक राजस्व रिजॉर्ड के गौपी पत्नी कल्याणसिंह जाति मीणा सा. हरदी तहसील बस्सी दर्ज रिजॉर्ड हैं। ग्राम रघुनाथपुरा, ग्राम कानोला से पृथक करके नवीन राजस्व गाँव बनाया गया था। ग्राम कानोला का नक्शा लट्ठा जीर्ण-शीर्ण एवं फय हुआ है, जिससे उक्त ख.नं. 198 विलुप्त अस्पष्ट एवं जीर्ण-शीर्ण हो गई है। की स्वामित्व की भूमि ख.नं. 198 की पूर्वी सीमा पर ख.नं. 193 किल्म में मु. नाला, जो जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) के नाम दर्ज रिजॉर्ड है तथा दक्षिणी सीमा पर ख.नं. 177 स्थित है, जो भी JDA के नाम दर्ज राजस्व रिजॉर्ड है। मा. उच्च न्यायालय राजस्थान ने आदेसे SB सिविल रिट पिट्रिशन नं. 15585/2010 में जारी आदेश दिनांक 04/04/2017 के अनुसार उक्त</p> | |

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय:- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बरसोली
बनाम.....

प्रकरण संख्या

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|-------------|---------------------------|---|
| | | <p>भूमि को चिरकाल तक हिंशो निया गोशाला के साथ हेतु आरक्षित किया हुआ है। उक्त भूमि का राजस्वीय एवं गैर राजस्वीय योजनाओं इत्यादि हेतु आवंटन एवं उपयोग नहीं किया जा सकेगा यानि भूमि का उपयोग गोशाला प्रयोजन हेतु किया जा सकेगा का का नोट अंकित है।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी बरसोली जिला-जयपुर </p> |

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय:- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बरसोली
बनाम.....

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|-------------|---------------------------|----------------------|
| | | |